न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 104/2023-24
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष .... पिन्टु केरकेट्टा........... वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष .... नरेश नाग .... वगैरह

आदेश की क्र0सं0 की तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि

थाना कामडारा के अप्राथमिकी संख्या 17/2023 दिनांक 17.12.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष :–** (1) पिन्टु केरकेट्टा उम्र 32 वर्ष, पिता– स्व0 रवि केरकेट्टा, ग्राम– लोहरागढ़ा (2) रंजन केरकेट्टा उम्र 35 वर्ष (3) एसरन बारला उम्र 59 वर्ष, दोनों के पिता– स्व0 मसीदास बारला, ग्राम+थाना– गुमला जिला– गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष :–** (1) नरेश नाग उम्र 49 वर्ष (2) रमेश नाग उम्र 35 वर्ष (3) देवी नाग उम्र 45 वर्ष, तीनों के पिता– बाँकुटोली, थाना– कामडारा, जिला–गुमला के बीच मौजा– कामडारा, बाँकुटोली थाना– कामडारा के खाता सं0 156 प्लॉट सं0 4323 रकबा 1.10 एकड़ भूमि पर दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है। जिसको लेकर आपसी उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है।थाना प्रभारी, कामडारा के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि विवाद का मूल कारण मौजा– सुरहू थाना–कामडारा थाना संख्या 101 के खाता संख्या 156 प्लॉट संख्या 4323 रकबा 1.10 एकड़ जमीन अवस्थित है। प्रथम पक्ष की ओर से किसी भी तरह की शांति भंग होने की संम्भावना नहीं है बल्कि द्वितीय पक्ष की ओर से शांति भंग होने की प्रबल संम्भावना बनी रहती है। प्रथम पक्ष की शांति पूर्ण दखल कब्जा वाला जमीन में द्वितीय पक्ष अनेक तरह की कठिनाई उत्पन्न कर रहे है। कामडारा थाना अप्राथमिकी संख्या 17/2023 दिनांक 17.12.2023 के प्रतिवेदन के आधार पर यह वाद उभय पक्षों के बीच लाया गया है जो प्रथम पक्ष के सदस्यों में लागु नहीं होता है। विवादित भूमि प्रथम पक्ष के सदस्यों के नाम भूमि बन्दोबस्ती से सन् 1988 ई0 में प्राप्त हुआ है और तब प्रथम पक्ष के दखल कब्जा में है एवं प्रत्येक साल लगान रसीद अपने नाम से कटाते है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष अपना मवेशी बैल बकरी बांधने एवं खेती बारी करते आ रहे है। स्थानीय पुलिस ने तोड़ मरोड़ कर तथ्य को प्रतिवेदित किया है। उपयुक्त परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान कार्यवाही को द्वितीय पक्ष पर जारी रखने योग्य है। द्वितीय पक्ष के सदस्य झगड़ालू और दंबग किस्म के व्यकित है और संख्या बल

में अधिक होने के कारण बिना हक सरोकार के कानून को अपने हाथ में ले रहे है। द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रथम पक्ष के जमीन को लेकर कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते है जिससे शांति भंग की सम्भावना है। प्रश्नगत प्रथम पक्ष के जमीन पर द्वितीय पक्ष का कोई हक सरोकार व अधिकार नहीं है।

अतः प्रथम पक्ष की ओर से कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए प्रथम पक्ष के विरूद्ध जारी नियम को रद्द किया जाय एवं विवादित जमीन में द्वितीय पक्ष को जाने पर हमेशा के लिए रोक लगाया जाय एवं प्रथम पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए द्वितीय पक्ष को स्थिर किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 लिखित जवाब की छायाप्रति ।
2 बण्डा पर्चा की छायाप्रति।
3 ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति।
4 ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष पिन्टु केरकेट्टा व अन्य के द्वारा द्वितीय पक्ष नरेश नाग व अन्य के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत उभय पक्ष के विरूद्ध प्रांरभ्म की गई है जो द्वितीय पक्ष के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है और खारिज करने का लायक है। मौजा– सुरहू थाना–कामडारा के खाता संख्या 156 प्लॉट संख्या 4323 रकबा 1.10 एकड़ से संबंधित है। उपरोक्त खाता,प्लॉट कुल रकबा 1.10 में से 0.80 एकड मसीहदास बरला प्रथम पक्ष के पिता और शेष 0.30 एकड़ द्वितीय पक्ष कला देवी, रमेश नाग और अन्य 08 के नाम पर बिहार सरकार द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त है जो Online Continuous खतियान में दर्ज है। उक्त खाता प्लॉट के 0.30 एकड़ जमीन पर कुल 10 व्यक्तियों के नाम प्रति व्यक्ति 0.03 ए0 गृह निर्माण के लिए बन्दोबस्त किया गया है। द्वितीय पक्ष कला देवी एवं रमेश नाग के नाम 03–03 डी0 जमीन गृह निर्माण के लिए सन् 1988-89 में बन्दोबस्त किया गया है और तब से द्वितीय पक्ष अपने–अपने हिस्से के जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार एवं काबिज है। अंचल अधिकारी, कामडारा के द्वारा दिनांक 19.06.1990 को सरकारी अमीन के द्वारा कुल 08 व्यक्तियों को दखल कब्जा दिलाया गया है। द्वितीय पक्ष रमेश नाग खाता सं0 156 प्लॉट सं0 4323 रकबा 0.03 डी0 जमीन रमेश नाग के नाम जमाबन्दी कायम है जो पेज सं0 316 भोलुम 01 पर दर्ज है और द्वितीय पक्ष कला देवी के नाम खाता सं0 156 प्लॉट सं0 4323 रकबा 0.03 ए0 जमीन पेज सं0 315 भोलुम 01 पर दर्ज है। उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष अद्यतन सरकार को मालगुजारी अदा करते चले आ रहे है। प्रथम पक्ष बिना हक व सरोकार के जबरन बलपूर्वक द्वितीय पक्ष को गृह निर्माण करने से रोक रहे है चूंकि प्रथम पक्ष संख्या बल में अधिक है। प्रथम पक्ष के पिता का खाता सं0 156 प्लॉट सं0 4323 रकबा 0.80 ए0 प्लॉट सं0 2750 रकबा 0.20 ए0 जमीन पंजी ii मे दर्ज है और प्रथम पक्ष मात्र 0.80 ए0 का हकदार है। प्रथम पक्ष के सदस्य झगड़ालू और दबंग किस्म के व्यक्ति है और संख्याबल में अधिक होने के कारण बिना हक व सरोकार के कानून को अपने हाथ में ले रहे है। प्रथम पक्ष के सदस्य द्वितीय पक्ष के जमीन को लेकर कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते है अैर शांति भंग कर सकते है। प्रशनगत द्वितीय पक्ष के जमीन पर प्रथम पक्ष का कोई हक व अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान से अनुरोध है कि धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए प्रथम पक्ष के विरूद्ध स्थिर किया जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 जवाब की प्रति।
2 Online Continuous खतियान की प्रति।
3 Online रसीद की प्रति।
4 Offline रसीद की प्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचती हूँ कि प्रस्तुत वाद जमीन मौजा सुरहू बाकुटोली थाना कामडारा के खाता सं0 156 प्लॉट संख्या 4323 रकबा 1.10 एकड़ से संबंधित है। उपरोक्त खाता,प्लॉट कुल रकबा 1.10 में से 0.80 एकड मसीहदास बरला प्रथम पक्ष के पिता और शेष 0.30 एकड़ द्वितीय पक्ष कला देवी, रमेश नाग और अन्य 08 के नाम पर बिहार सरकार द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त है जो Online Continuous खतियान में दर्ज है। उक्त खाता प्लॉट के 0.30 एकड़ जमीन पर कुल 10 व्यक्तियों के नाम प्रति व्यक्ति 0.03 ए0 गृह निर्माण के लिए बन्दोबस्त किया गया है। द्वितीय पक्ष कला देवी एवं रमेश नाग के नाम 03–03 डी0 जमीन गृह निर्माण के लिए सन् 1988-89 में बन्दोबस्त किया गया है एवं प्रथम पक्ष के पिता मसीहदास बरला के नाम से सन् 1988 में बन्दोबस्ती किया गया है। उभय पक्ष अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक दखलकार एवं काबिज है। अंचल अधिकारी, कामडारा के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या 156 प्लॉट संख्या 4323 रकबा 0.80 एकड़ मसीहदास बरला के नाम से दर्ज है, एवं खाता संख्या 156 प्लॉट संख्या 4323 रकबा क्रमश 0.03ए0, 0.03ए0, कला देवी एवं रमेश नाग के नाम से दर्ज है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाता है तथा प्रथम पक्ष को स्थिर किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कामडारा को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उभय पक्षों से आवेदन प्राप्त कर उक्त खाता, प्लॉट एवं रकबा का नियमानुसार सीमांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, कामडारा को एक प्रति भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.03 14:32:02 +05:30
Location: 192.168.1.3

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

23/2/24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।